उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या-क0नि0-2-1062/ग्यारह-9(156)/16-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(162)-2016
दिनांक: 29 जुलाई, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 30 जुलाई, 2016 से पंचायत उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित सेनेटरी नैपकिन एवं मैटरनिटी नैपकिन के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

एडि0 कमि0 (Law)

कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0
29.07.2016

1637
29.7.16

29/7/16 को 6.45 PM पर प्राप्त

157
29/7/16